

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ख)(1)पदस्थापन/अलेसे-।/

दिनांक:-

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 143 दिनांक 09.03.2019 के अंतिम पैरा की तृतीय लाईन में "निरस्त किया जाना प्रस्तावित है" के स्थान पर "निरस्त किया जाता है" पढ़ा जावे।

10.3.19

( मुकुन्द सोहोनी )  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ख)(1)पदस्थापन/अलेसे-।/2713

दिनांक:-09/03/19

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 2 विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष .....
- 3 कोषाधिकारी .....
- 4 श्री ....., सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। कार्यालय .....  
..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यगहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवावें।
- 5 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I/II/III) कार्यालय हाजा।
- 6 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- 7 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 8 निजी पत्रावली / रक्षित पंजिका।

( अरविन्द दीवान )  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)